फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु0 जयपुर

नारायण लाल बनाम सज्जन सिंह वगै0

विशेष वि केस संख्या : विविध प्रा. पत्र 07/2021

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही		विशेष विवरण
	26.12.2022	पत्रावली प्रस्तुत। प्रार्थी की प्रा0 पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी ने दौराने बहस अभिवचन किया की वाद दिनांक 11.11.2010 को अदम हाजरी, अदम पैरवी व आदेश 9 नियम 5 सीपीसी में खारिज कर दिया गया प्रार्थी ने जाहिर किया की वादी की दिनांक 24.09.2009 को मृत्यु हो जाने के कारण उपरोक्त उनवानी प्रकरण में पैरवी करने हेतु वादी व वादी के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हो सके। अतः आदेश पुर्नविचार किये जाने योग्य है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियादी अधिनियम को स्वीकार कर वाद को पुनः बहाल किया जावे। हमने प्रा0 पत्र व मूल दावे का अवलोकन किया मूल दावे के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि दावा अदम हाजरी, अदम पैरवी व 09R5 के तहत खारिज किया गया था। प्रार्थी/वादी ने लगभग 12 वर्ष बाद वाद को पुनः बहाल करने व मियाद में प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर प्रार्थन पत्र मियाद अधिनियम धारा 5 पेश किया है। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र व बहस में ऐसे कोई ठोस साक्ष्य अथवा कथन पेश नहीं किये जिससे की मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य हों। आदेश 9 नियम 5 जिसमें स्पष्ट लिखा है कि :- **जहां समन प्रतिवादी या कई प्रतिवादियों में से एक के नाम निकाले जावे और तामील के बिना लौटाए जाने के पश्चात् उस तारीख से सात दिनों की अवधि तक, वादी न्यायालय से नए समन निकालने के लिए आवेदन करने में असफल रहता है वहां न्यायालय यह आदेश करेगा कि वाद खारिज कर दिया जावे :-** **ऐसी दशा में वादी (परिसीमा विधि के अधीन रहते हुए) नया वाद ला सकेगा।** उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादी/प्रार्थी द्वारा इतने लम्बे अंतराल बाद पुनः वाद बहाल करने हेतू ठोस कारण अथवा सबूत पेश नहीं किये तथा वादी 09R5 में वाद खारिज होने पर केवल (परिसीमा विधि के अधीन रहते हुए) नया वाद ला सकता है। फलस्वरूप प्रार्थी/वादी का प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर	